

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाऊस, झरखंडा, राँची (झारखंड)

पत्र सं०- 02.त0श10/योजना -03/2021/06/योजना

/राँची, दिनांक- 15.05.2023

प्रेषक,

गैपचारिक
रूप से
रामर्षित

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के सचिव।

द्वारा :-

आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, राँची।

विषय:-

व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शिक्षा अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act 1961) के आलोक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं डिप्लोमा संस्थानों में राज्य के उत्तीर्ण (डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त) छात्रों को प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षणार्थ कुल ₹0 5,00,00,000/- (₹0 पांच करोड़) मात्र भुगतान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश :-

स्वीकृत।

व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र (BOPT, ER), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शिक्षा अधिनियम 1961 यथासंशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act 1961) में निहित प्रावधानों के आलोक में विभिन्न शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त छात्रों को एक वर्ष के लिए विभिन्न Apprentices Scheme अन्तर्गत प्रशिक्षण दी जाती है। उक्त में दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं डिप्लोमा संस्थानों में राज्य के उत्तीर्ण (डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त) छात्रों को Graduate Apprentices एवं Technician Apprentices के रूप में प्रशिक्षणार्थ एवं मानदेय भुगतान हेतु विभागीय संकल्प संख्या 765 दिनांक 17.08.2021 निर्गत किया गया है। पुनः विभागीय संकल्प सं० 392 दिनांक 20.04.2023 द्वारा Graduate Apprentices एवं Technician Apprentices जो एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर संबंधित विषय क्षेत्र में दक्ष हो चुके हैं वैसे इच्छुक प्रशिक्षुओं को एक अतिरिक्त वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः Advanced Graduate Apprentices एवं Advanced Technician Apprentices के रूप में कार्य लिये जाने हेतु आदेश निर्गत है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में Apprentices के रूप में चयनित छात्रों को मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल ₹0 5,00,00,000/- (₹0 पांच करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. i. Apprenticeship (Amendment) Rule, 2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रशिक्षण में छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में डिग्रीधारी छात्रों के लिए ₹0 9,000/- प्रतिमाह एवं डिप्लोमाधारी छात्रों के लिए ₹0 8,000/- प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है एवं राज्य सरकार द्वारा भुगतान किये जाने वाली उक्त Stipend की राशि का 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति Board of Practical Training (Eastern Region) द्वारा किया जाने का प्रावधान है।
ii. राज्य सरकार द्वारा डिग्रीधारी प्रशिक्षु के लिए प्रति प्रशिक्षु छात्रवृत्ति ₹0 15,000/- प्रति माह जिसमें राज्यांश की राशि ₹0 10,500/- शामिल है तथा डिप्लोमाधारी छात्रों के लिए कुल छात्रवृत्ति ₹0 10,000/- प्रति माह जिसमें राज्यांश की राशि ₹0 6,000/- शामिल है, दिया जायेगा। प्रति माह छात्रवृत्ति की अवशेष राशि यथा-डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) के लिए प्रति प्रशिक्षु ₹0 4500/- एवं डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) के लिए प्रति प्रशिक्षु ₹0 4000/- की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) से प्राप्त होगा।
3. एक वर्ष के अतिरिक्त प्रशिक्षण के अवधि में Advanced Graduate Apprentices के लिए कुल छात्रवृत्ति ₹0 18,000/- प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षु एवं Advanced Technician Apprentices के लिए कुल छात्रवृत्ति ₹0 12,000/- प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षु का भुगतान किया जायेगा।
4. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यय होने वाली राशि का वहन राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा/लघु शीर्ष-003-प्रशिक्षण/उपशीर्ष-A7-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और राहयोग के अन्तर्गत मानदेय ईकाई में उपबंधित राशि में से किया जाएगा। (विपत्र कोड 43S220300003A7010109)

5. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यय हाने वाली राशि का वहन राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा/लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उपशीर्ष-A7-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग के अन्तर्गत मानदेय ईकाई में उपबंधित राशि में से किया जाएगा।
(विपत्र कोड 43S220300796A7010109)
6. उपर्युक्त राशि का आवंटन आवश्यकतानुसार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/संबंधित राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य या विभाग द्वारा घोषित पदाधिकारी होंगे।
8. प्रत्येक संस्थान प्रमुख की यह जिम्मेवारी होगी कि Graduate Apprentices के लिए प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह रु0 4500/- एवं Technician Apprentices के लिए प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह रु0 4000/- की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में प्रत्येक तीन माह के अंतराल पर व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) से प्राप्त कर वित्त विभाग का परिपत्र सं0 278/बजट दिनांक 13.04.2022 के आलोक में राज्य कोष में वापस जमा करेंगे।
9. राशि की निकासी कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रौंछी/धनबाद/कोडरमा/बोकारो/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/दुमका/पलामू/जमशेदपुर/सरायकेला/उप कोषागार, तेनुघाट से की जायेगी।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस काय के लिये अन्य स्रोतों से राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
11. यह राशि State Scheme Code 1288 से संबंधित है।
12. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक- 17/04/98 एवं पत्रांक 274 दिनांक-31.03.2023 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
13. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
14. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
15. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
16. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

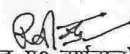
झारखंड राज्यपाल के आदेश से


12.5.23
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 02.त0शि0/योजना -03/2021/06/थोजना /रौंछी, दिनांक- 15.05.2023
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रौंछी/धनबाद/कोडरमा/बोकारो/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/दुमका/पलामू/जमशेदपुर/सरायकेला/उप कोषागार, तेनुघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


12.5.23
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- 02.त0शि0/योजना -03/2021/06/थोजना /रौंछी, दिनांक- 15.05.2023
प्रतिलिपि- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थान, झारखण्ड/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/सहायक निदेशक-II को Upload करने हेतु/बजट शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रौंछी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रवीन्द्र प्र0 वर्णवाल)
प्रशाखा पदाधिकारी


(मनौवर आलम)
अवर सचिव

(गरिमा सिंह)
निदेशक, तकनीकी शिक्षा


12.5.23
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव